जंगल से 30 लाख के जेवर और नगदी एक लाख जप्त, रिमांड खत्म, यूपी, महाराष्ट्र के डकैत गए जेल

धर्मशाला में ठहरकर डकैतों ने लिखी थी डकैती की पटकथा

नवभारत, जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत सोनिया ज्वेलर्स के पीछे गली जयप्रकाश वार्ड पनागर कमानिया गेट के पास 16 दिसम्बर की रात्रि सोने चांदी के जेवरों से भरे थैले लूट कर भागे डकैतों में से दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड लिया इसके बाद पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने एक धर्मशाला में ठहरकर डकैती की पटकथा लिखी थी। इसके बाद वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवर कीमती लगभग 30 लाख रूपये के घटना में प्रयुक्त 2 दुपहिया वाहन एवं 1 मोबाईल जप्त किया गया है। रिमांड खत्म होने पर यूपी और महाराष्ट्र के दोनों डकैतों को सोमवार को न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) जितेन्द्र सिंह ने सोमवार को खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस टीमों ने प्रयागराज में दबिश देते हुये आरोपी दीपक त्रिपाठी पिता स्व.राजकुमार त्रिपाठी 39 वर्ष निवासी प्रयागराज उप्र, गोविन्द पाण्डे उर्फ कान्हा पिता हरिश्चन्द्र पाण्डे 32 वर्ष निवासी को नागपुर से गिरफ्तार कर शहर लाया गया। पूछताछ करने पर दोनों ने पहले गुमराह किया बाद में राज उगले। दोनों को रिमांड में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने इंद्राना के पास ग्राम बनखेड़ी मनका पहाड़ी के घने जंगल में हिस्सा बटबारे के बाद अपने अपने हिस्से में मिले सोने चांदी के जेवरातों को जंगल में गड्ढा खोदकर गड्ढों में आभूषण में छिपाना बताये। आरोपियों की निशादेही पर जेवरात, नगदी, वाहन जब्त किए गए।

डायल 112 देख खाली हाथ लौटे, दूसरे दिन लूटा

पूछताछ में यह बात सामने आई कि वीरेन्द्र यादव का फरारी के दौरान जबलपुर में भेड़ाघाट स्थित धर्मशाला में आकर रूका एवं भूरा ज्वेलर्स की रैकी करने की। इसके बाद चुराई हुई टूव्हीलर से 14 दिसंबर 2025 को प्रतापगढ से रवाना होकर 15 दिसम्बर की शाम को पनागर आकर लूट की योजना के तहत पहुंचे किन्तु डायल 112 पुलिस के मौके पर आ जाने के कारण लूट की घटना को अंजाम नहीं दिए। दूसरे दिन 16 दिसम्बर की शाम को पुन: सभी 6 आरोपी पहुंचे और भूरा सोनी एवं उसके लड़के कान्हा सोनी के साथ तीन थैलों मे भरे सोने चांदी के जेवरात लूट लिए थे।

एक का सरेंडर, तीन की तलाश

प्रकरण का एक आरोपी वीरेन्द्र यादव घटना के उपरांत जबलपुर पुलिस से बचने के लिये थाना जेठवारा जिला प्रतापगढ के एक अन्य अपराध में जिला प्रतापगढ न्यायालय मे सरेंडर कर दिया जो वर्तमान में जिला जेल प्रतापगढ में बंद है जिसका प्रोटेक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया प्रांरभ की गयी है। जबकि आरोपी रवि पासी, सत्यम तिवारी एवं रंजीत यादव की सरगर्मी से तलाश में टीमे रवाना है।

मप्र, महाराष्ट्र में लूट डकैती के अपराध है दर्ज

प्रकरण के सभी आरोपी काफी खतरनाक एवं खूखार किस्म के शातिर अपराधी हैं जिनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र में लूट डकैती जैसे जघन्य अपराध दर्ज हैं। पत्रकारवार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन 2 सुश्री पल्लवी शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल सुश्री राजेश्वरी कौरव, पनागर थना प्रभारी विपिन ताम्रकार उपस्थित रहे।

क्या है मामला

विदित हो कि जयप्रकाश वार्ड पनागर निवासी सुनील सोनी की विद्यासागर वार्ड में भूरा ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी की दुकान हैं। 16 दिसम्बर की रात्रि जब वे दुकान बंद कर अपने बेटे के साथ बाइक से घर जा रहे थे तभी 6 आरोपी बाइकों से पहुंचे थे। बदमाशों ने जमकर उपद्रव मचाया था। कट्टे व हथौड़ी से सुनील और उनके बेटे संभव सोनी पर हमला कर दिया। इस दौरान दो आरोपी हमला कर रहे थे जबकि चार लोग तीन थैले जेवरों से भरे छुड़ाकर अपने हाथों में ले लिए थे इसके बाद सभी भाग गए थे।

डकैतों का निकाला जुलूस

रिमांड खत्म होने पर सोमवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया इसके पहले दोनों ही डकैतों का पुलिस ने थाने से कमानिया गेट तक जुलूस निकाला। इसके बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से दोनों को जेल भेज दियागया है।

कटंगी बायपास में शाम को लगे जाम

जबलपुर, नवभारत। सोमवार शाम कटंगी रोड पर बायपास के समीप दोनों ओर दो घंटे तक विशाल एक किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। जिससे निकलने के लिए लोग छटपटाते रहे। जाम की सूचना मिलने पर पहुंची मढ़ोताल पुलिस के सिपाहियों को भी पसीना आ गया। जानकार बताते है कि यहां लगे जाम का मुख्य कारण बायपास के समीप हिंदुस्तान लीवर का गोदाम है। जिसमें लोडिंग अनलोडिंग के लिए आने वाले बड़े बड़े ट्रक उलटी दिशा से गोदाम के लिए घुसते है। वही बायपास के पास ढाबों सहित अन्य दुकानों पर सड़क किनारे अनेकों ट्रक खड़े रहते है। जिससे भी क्रॉसिंग पर जाम लगने के हालात निर्मित होते है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यहां प्रशासन द्वारा ऐसी ठोस व्यवस्था की जाए जिससे बायपास पर आवागमन 24 घंटे सुचारू रहे।

इनके कारण भी लगता है जाम

सूत्रों की माने तो बायपास के नजदीक कठोंदा ग्राम मोड पर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग 3 बजे से शुरू की जाती है। जो लगभग तीन घंटे तक चलती है। इससे बचने बगैर हेलमेट और कागज वाले दुपहिया व चारपहिया वाहन दोनो छोर पर पुलिस के डर से भारी संख्या में बचने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। जिससे भी सड़क के दोनो ओर अनावश्यक भीड़ वाहनों सहित बढ़ जाती है जो जाम में सहायक बन जाते हैं।

वन क्षेत्र से अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर की गई कार्रवाई

सिहोरा, नवभारत। मुख्य वन संरक्षक, मध्य वन वृत्त जबलपुर, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल जबलपुर (सा.) एवं उपवनमण्डलाधिकारी सिहोरा (सा.) के अवैध गतिविधियों एवं वन अपराधों की रोकथाम संबंधी निर्देशों के अनुपालन में, सोमवार को सामान्य वनमण्डल जबलपुर अंतर्गत वन परिक्षेत्र सिहोरा (सा.) के बीट पिपरसरा, कक्ष क्रमांक क्कन्न-29 (संरक्षित वन क्षेत्र) में वन परिक्षेत्र अधिकारी सिहोरा श्री सौरभ शर्मा के दिशा-निर्देशन में, वन परिक्षेत्र सिहोरा एवं पनागर के संयुक्त वन अमले द्वारा अवैध रूप से रेत का उत्खनन करते हुए तथा उसी रेत का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को मौके पर ही पकड़ा गया।

मौके पर ट्रैक्टर रेत से लदा पाया गया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान संबंधित व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का वैध खनन अथवा अभिवहन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात उक्त ट्रैक्टर को रेत सहित विधिवत जब्त कर वन परिक्षेत्र कार्यालय सिहोरा में सुरक्षित खड़ा कराया गया है। प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं म.प्र. अभिवहन (वनोपज) नियम 2022 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में वन परिक्षेत्र सिहोरा एवं पनागर के वन अमले की सराहनीय भूमिका रही। वर्तमान में क्षेत्र में निरंतर गश्त की जा रही है तथा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई सतत रूप से जारी है।

पेयजल की शुद्धता की जांच के लिए मैदान में उतरी टीम

▶ पार्षदों के साथ हुई पानी की जांच

नवभारत,जबलपुर। महापौर जगत बहादुर सिंह ''अन्नू'' एवं निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर शुद्ध जलापूर्ति के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए सोमवार को सभी संभागीय कार्यालयों में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षदों, संभागीय अधिकारियों और जल विभाग के उपयंत्रियों ने मिलकर विभिन्न क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया। शहर के विभिन्न हिस्सों और अंतिम छोर पर स्थित घरों से पानी के नमूने लिए गए। जल शोधन संयंत्रों से लेकर वितरण पाइप लाइनों तक पानी की शुद्धता की बारीकी से जाँच की गई।

संभागीय कार्यालयों से मिली जानकारी के अनुसार संभाग क्रमांक 7 के अन्तर्गत सुभाष चंद्र बोस वार्ड निर्भय नगर में जल वितरण लाईन सुधार कार्य किया गया। कोल माइंस जे.डी.ए. नाला की पुलिया के नीचे लगभग 20 पाइप लाइन गई है जिसके नीचे की सफाई पदाधिकारी विजय तिवारी, संभागीय अधिकारी पवन श्रीवास्तव, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल बारी एवं मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक वैभव तिवारी और अमन चौरसिया तथा आम नागरिकों की उपस्थिति में कराई गयी। इसी प्रकार संभाग क्रमांक 11 अंतर्गत वार्ड 43 डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में वार्ड पार्षद के साथ नालियों में जल आपूर्ति पाइप लाइन के लीकेज की स्थिति की जांच की गई। वहीं संभाग क्रमांक 10 से प्राप्त जानकारी के अनुसार एम.आई.सी. सदस्य दामोदर सोनी, वार्ड पार्षद सावित्री, निशांत झरिया, संतोषी ठाकुर संभागीय अधिकारी नरेश शर्मा सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पोला राव मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा वार्ड सुपरवाइजर राजेश चौधरी मदन चौधरी के साथ पाइप लाइन लीकेज की स्थिति की जांच की गयी।

अंसार नगर पहुंची नगर निगम जल विभाग की टीम

अंसार नगर पानी का सैम्पल लेने जल विभाग की टीम पहुँची, जिसमें जल विभाग के कार्यपालन यंत्री कमलेश श्रीवास्तव, संभागीय अधिकारी सुदीप पटैल, उपयंत्री चन्द्रशेखर पटैल, एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी अपनी उपस्थिति में नलों से पानी का सैम्पल लिया और पाया कि नलों से स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है।

सीएचसी मझौली में डॉक्टरों के लिए एक भी वाहन नहीं

▶ हर जानकारी जिला कार्यालय के भरोसे

नवभारत,मझौली (जबलपुर)। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मझौली की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनवरी 2020 से नवंबर 2025 तक डॉक्टरों हेतु लगाए गए मोबिलिटी वाहनों को लेकर दायर आरटीआई के जवाब में कार्यालय मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.के. मझौली ने साफ किया है कि केंद्र स्तर पर डॉक्टरों या स्वास्थ्य अधिकारियों को कोई भी सरकारी वाहन, मोबिलिटी वाहन या एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। जवाब में यह भी कहा गया कि वाहनों का संचालन जिला जबलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा ठेका पद्धति से कराया जाता है। वाहन का प्रकार, मॉडल, रजिस्ट्रेशन नंबर, खरीद वर्ष, व्यय विवरण, चालकों की नियुक्ति व वेतन, रखरखाव खर्च, खराब या अनुपयोगी वाहनों का विवरण तथा डॉक्टरों के वाहन उपयोग से जुड़े नियम—हर एक बिंदु की जानकारी के लिए जिला कार्यालय से संपर्क करने की बात कही गई है। आरटीआई के इस उत्तर ने स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन की जवाबदेही और रिकॉर्ड प्रबंधन पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। जब सीएचसी स्तर पर किसी भी प्रकार का वाहन उपलब्ध नहीं है, तो आपात परिस्थितियों में डॉक्टरों की आवाजाही कैसे होती है? यदि वाहन ठेके पर जिला स्तर से संचालित हैं, तो उनका उपयोग, निगरानी और रिकॉर्ड ब्लॉक स्तर पर क्यों नहीं? सूचना अधिकार के तहत मांगी गई लगभग हर जानकारी को जिला कार्यालय की ओर टाल देना, पारदर्शिता की भावना के विपरीत माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या जिला कार्यालय से समयबद्ध, पूर्ण और स्पष्ट जानकारी मिलेगी, या यह मामला भी फाइलों के बीच उलझकर रह जाएगा। आरटीआई ने जवाब कम, सवाल ज्यादा खड़े कर दिए हैं—और मझौली की जनता अब ठोस जवाब चाहती है।

भीषण ठंड : मझौली में अलाव की व्यवस्था नहीं

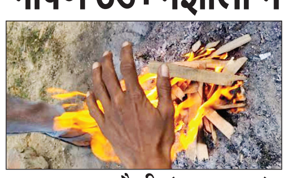

नवभारत,मझौली (जबलपुर)। कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह जकड़ लिया है, लेकिन मझौली नगर में आम नागरिकों को राहत देने के लिए अलाव की कोई भी सरकारी व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड से बचने के लिए मजबूर होकर नगर के व्यापारी और दुकानदार खुद ही कचरा, लकड़ी और अनुपयोगी सामग्री जलाकर ठंड मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि प्रमुख बाजार, बस स्टैंड, अस्पताल के आसपास और रात्रि में खुले रहने वाले व्यावसायिक क्षेत्रों में भी नगर पंचायत द्वारा एक भी अलाव स्थल चिन्हित नहीं किया गया। इससे न सिर्फ व्यापारी बल्कि राहगीर, बुजुर्ग, महिलाएं और गरीब तबके के लोग भी ठंड के कहर का सामना करने को मजबूर हैं। नगरवासियों ने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से नगर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की समुचित व्यवस्था की जाए।

धार्मिक स्थलों व राष्ट्रीय राजमार्गों के पास खुलेआम बिक रही शराब

▶ अवैध शराब बिक्री के विरोध में बहुजन चेतना विकास मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन

नवभारत,जबलपुर। बहुजन चेतना विकास मोर्चा ने मध्यप्रदेश में शराब ठेकेदारों द्वारा नियमों की खुलेआम अवहेलना कर गली-गली, राष्ट्रीय एवं स्टेट राजमार्गों, स्कूलों व धार्मिक स्थलों के आसपास अवैध रूप से शराब बिक्री किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष खेमराज झारिया एवं राष्ट्रीय महासचिव एन. के. दास के नेतृत्व में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के नाम इस संबंध में शिकायत पत्र सौंपा गया। पत्र में उल्लेख किया गया है कि मंडला जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित होटल-ढाबों तथा जबलपुर के विश्व धरोहर व धार्मिक स्थल भेड़ाघाट (सरस्वती घाट) के समीप देशी-विदेशी शराब दुकानें संचालित हो रही हैं, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। संगठन ने आरोप लगाया कि एक ओर अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई नहीं होती, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों के विरुद्ध झूठे प्रकरण बनाकर उन्हें परेशान किया जाता है। बहुजन चेतना विकास मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम मेहरा ने मांग की है कि आबकारी अधिनियम की धारा 34-बी के तहत दोषी ठेकेदारों व विक्रेताओं पर तत्काल कार्रवाई कर धार्मिक स्थलों के पास संचालित दुकानों को बंद कराया जाए।

प्राचीन शिव मंदिर पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की मांग

▶ अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन

नवभारत,जबलपुर। अधारताल तहसील अंतर्गत गोहलपुर स्थित खसरा नंबर 300 पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण और मंदिर संरचना को क्षतिग्रस्त करने के मामले में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि मंदिर के शिवलिंग को हटाया गया, मंदिर की प्राचीन संरचनाएं ध्वस्त की गईं और मंदिर के सामने शासकीय भूमि पर अवैध दुकान और टीन शेड लगा दिया गया। संगठनों ने अविलंब अतिक्रमण हटाने, मंदिर की सुरक्षा, सीमांकन एवं जीर्णोद्धार सुनिश्चित करने की मांग की है। इस अवसर पर विभाग मंत्री एडवोकेट अमित उपाध्याय, महानगर कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, कपिल रैकवार, दिवान राजपूत, आकाश रैकवार, आदित्य झा, विकास पृथ्यानी, मुकेश गौतम, लाल बहादुर, अखिलेश विश्वकर्मा और कवि राठौर सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रांत मंत्री अर्पित सिंह ठाकुर ने चेतावनी दी कि प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू समाज सड़क पर आंदोलन के लिए मजबूर होगा।

अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला निगम का बुल्डोजर

नवभारत, जबलपुर। शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के कार्यों के साथ निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर सोमवार को एक व्यापक 'अतिक्रमण हटाओ अभियान' चलाया गया। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने शहर के विभिन्न हिस्सों में मुस्तैदी दिखाते हुए अव्यवस्थाओं को दूर किया। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा से लेकर जोन कार्यालय और रामपुर चौक तक मुख्य मार्ग के दोनों ओर से अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए। इससे सड़कों की चौड़ाई बढ़ी है और वाहन चालकों को जाम से मुक्ति मिली है। वहीं सगड़ा क्षेत्र में आम रास्ते पर खुले में मांस विक्रय करने वाली दुकानों को हटाकर क्षेत्र में स्वच्छता सुनिश्चित की गई। इससे स्थानीय निवासियों को गंदगी और दुर्गंध से राहत मिलेगी। सुपर मार्केट और हनुमानताल जैसे व्यस्त क्षेत्रों में की गई कार्यवाही से बाजारों में आवाजाही आसान हुई है, जिसका लाभ व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को मिलेगा। अतिक्रमण के दौरान अवैध रूप से रखी गई टपरियां, गैस टंकियां और अन्य सामग्रियां भी जब्त की गईं।

नौ माह में 6485 कोचों की मरम्मत हुई

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेल के भोपाल एवं कोटा स्थित रेल कारखानों में कोचों वैगनों का पीरीयोडिक ओवर हालिंग का कार्य किया जाता है।? दोनों कारखानों के मुख्य कारखाना प्रबंधक के मार्गदर्शन में अनुरक्षण डिपो में चालू वित्तीय वर्ष में कोचों वैगनों का अनुरक्षण करके अच्छा प्रदर्शन किया है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के नौ माह में सीआरडब्लूएस भोपाल एवं डब्लूआरएस कोटा दोनों कारखानों में कुल 6485 कोचों वैगनों का पीरियोडिक ओवर हॉलिंग किया गया, जिसमें सवारी डिब्बा पुर्ननिर्माण कारखाना भोपाल ने 916 कोचों का अनुरक्षण किया तथा कोटा वैगन रिपेयर वर्कशॉप ने 5569 वैगनों का अनुरक्षण कार्य किया। गतवर्ष की तुलना में लगभग 05 प्रतिशत अधिक मरम्मत की गई।

पुलिस दूरसंचार मुख्यालय म.प्र., भोपाल
भदभदा रोड भोपाल पिन नं. 462003

क्रमाक-पुदूसंसं /विधिशाखा/D-52/2026 भोपाल दिनांक-01/01/2026

केवियट दायर करने की सूचना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियों) म.प्र. भोपाल द्वारा REQUEST FOR SUPPLY, INSTALLATION, INTEGARATION, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF AUTOMATIC SPEECH-TO-TEXT(AI-AL) ON A LARGE SYSTEM IN A CALL CENTRE. हेतु टेण्डर NIT NO. PDM/Dial 112/OPS/F-18A/25/D-21712/2025 Date 31/12/2025. के माध्यम से जारी किया गया है, तथा विभागीय वेबसाईट व ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु वेबसाईट पर अपलोड की गई है। उक्त प्रकिया के विरूद्ध कोई /संबंधित सर्वसधारण माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते है तो उन्हें अवगत कराया जाता है, कि शासन द्वारा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में केवियट दायर की जा रही है, ताकि कोई न्यायालयीन प्रकरण दायर होता है, तो उसमें शासन का पक्ष सुने बिना एकपक्षीय आदेश जारी न हो सकें।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो)
म.प्र, भोपाल

जी-23957/25 स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता

कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र. /जविप्रा /2026/भू-अर्जन/5727 जबलपुर, दिनांक :- 05/01/2026

आम सूचना

जबलपुर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक-64 ग्राम मोहनियाँ, बहदन, सिमरिया एवं योजना क्रमांक-65 के ग्राम बसहा, कचनारी, मोहनिया एवं गढ़ा की योजनांतर्गत आने वाली भूमियों के ऐसे भूमिस्वामियों से जिनका प्राधिकरण से भूमि अर्जन हेतु अनुबंध संपादन नहीं हुआ है, म .प्र . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 56 के तहत् आपसी करार के माध्यम से अनुबंध संपादन की कार्यवाही की जानी है। इस हेतु प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार तिथियों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है :-

दिनॉक :- 07 जनवरी 2026 से 09 जनवरी 2026 तक
समय :- प्रात : 11:00 बजे से अपरांह 3 :30 बजे तक
स्थान :- स्थल कार्यालय, यो. क्रमांक-41 (पं. ओंकार प्रसाद तिवारी नगर)

ऐसे भूमिस्वामियों से अनुरोध है कृपया शिविर में अपनी भूमि से संबंधित समस्त मूल अभिलेखों (भूमि से संबंधित दस्तावेजों एवं KYC से संबंधित दस्तावेजों) के साथ उपस्थित होकर अनुबंध संपादन की औपचारिकतायें पूर्ण करायें ।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
जबलपुर विकास प्राधिकरण
जबलपुर

भेड़ाघाट जल प्रदाय परियोजना में जल गुणवत्ता की हुई जांच

▶ मुख्य अधिकारियों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर दिए दिशा-निर्देश

नवभारत,जबलपुर। भेड़ाघाट जल प्रदाय परियोजना में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जल की गुणवत्ता की जांच की गई, जिसमें टीडीएस, पीएच, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और जल की कठोरता जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स शामिल थे। सभी पैरामीटर्स मानक के अनुरूप सही पाए गए।अधिकारियों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट संचालन और रख-रखाव को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि लॉगबुक का नियमित मेंटेनेंस किया जाए और ग्राहकों के यहाँ समय-समय पर जल गुणवत्ता की जांच की जाए। इसके अलावा, दैनिक वार्ड-स्तर पर जल की गुणवत्ता की निगरानी, ओवरहेड टैंकों की साफ-सफाई और रख-रखाव पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी लीकेज की समस्या का तुरंत समाधान किया जाए और यदि ग्राहकों से गंदे पानी की शिकायत आए तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। आईएचपी के प्रोजेक्ट मैनेजर तुषार ठाकरे तथा इंजीनियर शिवम गौर और अभिषेक गौतम ने बताया कि वे अधिकारियों द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान परमेश जलोटे, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, जबलपुर, सुरेश देहरिया, कार्यपालन यंत्री, विजय सिंह बघेल, सहायक यंत्री, विक्रम सिंह झारिया, सीएमओ भेड़ाघाट, निधि परोहा, उपयंत्री भेड़ाघाट, ओ. पी. मुखर्जी, जल प्रदाय प्रभारी भेड़ाघाट, गोपाल गुप्ता (एमपीयूडीसीएल पीएम) और अभय जैन (डीपीएम, एमपीयूडीसीएल) उपस्थित रहे।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग-डिण्डौरी, जिला-डिण्डौरी (म.प्र.)

नि.आ.सू क्रमांक/14/ व.ले.लि./2025-26 डिण्डौरी दिनांक 02/01/2026

ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा केन्द्रीयकृत लो.नि.वि. में पंजीकृत समस्त निविदाकारों को सूचित किया जाता है कि लो.नि.वि. संभाग डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यो की ऑन लाईन निविदा पोर्टल https://www.mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की गई है। कार्यो का विस्तृत विवरण बेबसाईट पर देखा जा सकता है :

ई-टेंडर नम्बर	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	अमानत राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	निविदा खोले जाने का स्थान
2026_PWDRB_472682	राई-मालपुर-डुंगरिया मार्ग के किमी. 8/4 में स्लेब कलवर्ट का निर्माण कार्य।	69.23	70000.00	10000.00	04 माह वर्षाऋतु सहित	कार्यालय मुख्य अभियंता लो.नि.वि. परिक्षेत्र जबलपुर।
2026_PWDRB_472683	पडरिया कला से अनूपपुर जिला सीमा मार्ग में 01 नग स्लेब कलवर्ट का निर्माण कार्य।	90.84	90850.00	10000.00		

निविदा की तिथि एवं शर्ते :-

(1) ऑनलाईन निविदा प्रपत्र खरीदने की तिथि 02/01/2026 से 16/01/2026 सायं 5:30 बजे तक है।
(2) ऑनलाईन बिड सबमिट करने की अंतिम तिथि 16/01/2026 सायं 5:30 बजे तक है।
(3) टेण्डर डाक्यूमेंट, (e-EMD) तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज केवल ऑनलाईन ही सबमिट किये जायेंगे। निविदा दिनांक 19/01/2026 से खोली जावेगी।
(4) संशोधन या शुद्धिपत्र सिर्फ वेबसाईट में अपलोड किये जावेंगे।
(5) निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर भुगतान उपरांत प्राप्त हो सकेंगे। अतिरिक्त जानकारी वेबसाईट पर टेण्डर डाक्यूमेंट में देखी जा सकती है।

(मोहपत सिंह धुर्वे)
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, डिण्डौरी

जी-23942/25 स्वभाव स्वच्छता,संस्कार स्वच्छता